रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-72 REGISTERED No. D(D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 244] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 22, 1978/श्रावण 31, 1900

No. 244] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 22, 1978/SRAVANA 31, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1978

सा. का. नि. 421(अ).—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के साथ पठित उप-धारा (2) और खाद्य निगम नियम, 1965 के नियम 3 के उप-नियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री राम चरन को श्री एम. ए. खान के स्थान पर, उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य निगम के निदेशक बोर्ड में एतद्द्वारा नियुक्त करती है और निदेश देती है कि भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (खाद्य

विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 37, तारीख 2 जनवरी, 1965 में निम्नलिखित और संशोधन किया जाए, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

प्रविष्टि 10 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात :—

" 10 श्री राम चरन, मोहल्ला सराय मुर्तजा खान, खुरजा, जिला बुलन्दशहर (उ. प्र.)"

[सं. फा. 4-6/78-एफ. सी.-1]

के. सी. एस. आचार्य, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 1978

G.S.R. 421(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2), read with clause (e) of sub-section (1), of section 7 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), and sub-rule (3) of rule 3 of the Food Corporation Rules, 1965, the Central Government hereby appoints Shri Ram Charan on the Board of Directors of the Food Corporation of India, established under the said Act, in place of Shri M. A. Khan and directs that the following further amendments shall be made in the notification of the Government of India in the late Ministry of Food and Agriculture (Department of Food) No. G.S.R. 37, dated the 2nd January, 1965, namely :—

In the said notification for entry 10, the following entry shall be substituted, namely :—

"10. Shri Ram Charan, Mohalla Sarai Murtiza Khan, Khurja, District Bulandshahar, (U.P.)."

[F. No. 4-6/78-FC-I]

K. C. S. ACHARYA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064 AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978